

झारखण्ड विधान-सभा

दि झारखण्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्स्ट्रक्शन इन अनसेफ
एरियाज (संशोधन) अधिनियम, 2005

[सभा द्वारा पारित]

[झारखण्ड अधिनियम संख्या-7/2005]



सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

**दि झारखण्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्सट्रक्शन इन अनसेफ एरियाज
(संशोधन) अधिनियम, 2005
[सभा द्वारा पारित]**

“दि झारखण्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्सट्रक्शन इन अनसेफ एरियाज एक्ट, 2002” (अधिनियम सं०-06/2004) की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में हुई अशुद्धियों के संशोधन एवं शुद्धिकरण हेतु संशोधन विधेयक ।

भारतीय गणतंत्र के 56वें वर्ष में यह निम्न प्रकार अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(i) यह अधिनियम “दि झारखण्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्सट्रक्शन इन अनसेफ एरियाज (संशोधन) अधिनियम, 2005” कहलायेगा ।
(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
(iii) यह संशोधन अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
2. हिन्दी पाठ में निम्नांकित संशोधन/शुद्धिकरण किया जायेगा :-
 - (i) दि झारखण्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्सट्रक्शन इन अनसेफ एरियाज एक्ट, 2002 (जिसे आगे मूल एक्ट के रूप में अभिहित किया जायेगा) की धारा-6 में “हकदार” शब्द के स्थान पर “भागी” शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
 - (ii) मूल एक्ट की धारा-8 में “अवैध” शब्द के स्थान पर “वैध” शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
 - (iii) मूल एक्ट की धारा-11 की उपधारा (3) निम्न प्रकार संशोधित एवं पठित होगी :
“(3)-उपधारा (1) के अन्तर्गत दायर अपील का निष्पादन इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी (जो सरकार के सचिव या प्रमंडलीय आयुक्त से न्यून स्तर के नहीं हों) यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार करेंगे ।”
 - (iv) मूल कोटि की धारा-14 में (b) के स्थान पर (बी) प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
3. अंग्रेजी पाठ में निम्नलिखित संशोधन/शुद्धिकरण किया जायेगा :-
 - (i) मूल एक्ट की अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ की धारा-6 में “Whom” के स्थान पर “Who” शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
 - (ii) मूल एक्ट की अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ की धारा-7 निम्न प्रकार संशोधित एवं पठित होगी-

“7. The Power to demolish Construction:- Where any construction has been commenced or being continued in contravention of the Provisions of section-5, the District Magistrate having the jurisdiction may, after giving the owner of such construction and also to the occupier (if the owner is not the occupier) an opportunity of being heard, make an order directing the demolition of the construction commenced or continued within such period as may be specified in the order and in default, the District Magistrate may cause or through a person authorised by him, in this behalf, cause demolition of such construction and the cost thereof shall be recoverable by the District Magistrate from the owner of the construction as a public demand.

- (iii) मूल एक्ट की धारा-8 अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में "Protection" शब्द के बाद "of" शब्द अंतस्थापित किया जायेगा । इस धारा में "illegal proceedings" शब्दों के स्थान पर "legal proceedings" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे तथा इस धारा के अंत में "," (अल्प विराम) के स्थान पर "." (पूर्ण विराम) प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (iv) मूल एक्ट की धारा-9 अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में "in his behalf" वाक्यांश के स्थान पर "in this behalf" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (v) मूल एक्ट की धारा-11 की उपधारा (iii) अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में "disposed off" शब्दों के स्थान पर "disposed of" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे तथा "Division Commissioner" के स्थान पर "Divisional Commissioner" पदनाम प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (vi) मूल एक्ट की धारा-14 अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में "Provision" शब्द के स्थान पर "Provisions" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

 1. भाषा में इस दस्तावेज़ में उल्लेखित शब्दों का अर्थ (i)
 1. भाषा में इस दस्तावेज़ में उल्लेखित शब्दों का अर्थ (ii)
 :- भाषा में उल्लेखित शब्दों का अर्थ (iii) उल्लेखित शब्दों के अर्थ (iv)

(i) मूल एक्ट की धारा 8 में "Protection" शब्द के बाद "of" शब्द अंतस्थापित किया जायेगा । इस धारा में "illegal proceedings" शब्दों के स्थान पर "legal proceedings" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे तथा इस धारा के अंत में "," (अल्प विराम) के स्थान पर "." (पूर्ण विराम) प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
 (ii) मूल एक्ट की धारा 9 में "in his behalf" वाक्यांश के स्थान पर "in this behalf" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
 (iii) मूल एक्ट की धारा 11 की उपधारा (iii) अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में "disposed off" शब्दों के स्थान पर "disposed of" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे तथा "Division Commissioner" के स्थान पर "Divisional Commissioner" पदनाम प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
 (iv) मूल एक्ट की धारा 14 अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में "Provision" शब्द के स्थान पर "Provisions" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

भाषा में उल्लेखित शब्दों का अर्थ (i) उल्लेखित शब्दों के अर्थ (ii)
 भाषा में उल्लेखित शब्दों का अर्थ (iii) उल्लेखित शब्दों के अर्थ (iv)

"The power to demolish a construction - Where any construction has been commenced or being continued in contravention of the provisions of section 3, the District Magistrate having the jurisdiction may after giving the owner of such construction and also the occupier (if the owner is not the occupier) an opportunity of being heard, make an order directing the demolition of the construction or continued within such period as may be specified in the order and in default, the District Magistrate may cause or through a person authorized by him, in this behalf, cause demolition of such construction and the cost thereof shall be recoverable by the District Magistrate from the owner of the construction as a public demand."

यह विधेयक दि झारखण्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्स्ट्रक्शन इन अनसेफ एरियाज (संशोधन) विधेयक, 2005, दिनांक 2 जुलाई, 2005 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 2 जुलाई, 2005 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।

मैं इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूँ ।

सैयद सिब्ते रजी,
राज्यपाल, झारखण्ड ।

राँची :
दिनांक 17-8-2005 ।

सच्ची प्रतिलिपि

सीताराम सहनी,
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।